रेल दावा अधिकरण
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL
(प्रधान पीठ/Principal Bench)
दिल्ली /Delhi

13/15, माल रोड, दिल्ली- 110054
13/15, Mall Road, Delhi-110054

कार्यालय आदेश

दिल्ली की माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.02.2022 के अपने आदेश के तहत 14.02.2022 से 28.02.2022 तक अपने जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया के बारे में निदेश जारी किए हैं। निदेशों के अनुसार, जिला/अधीनस्थ न्यायालय इस तरीके से रोस्टर बनायेंगे कि कुल संख्या के लगभग 50% न्यायिक अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय का संचालन करेंगे जबकि अन्य अधिकारी वर्चुअल तरीके से मामलों पर कार्रवाई करेंगे। उपर्युक्त निदेशों के अनुसार, सक्षम प्रधिकारी द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि रेल दावा अधिकरण, दिल्ली की प्रधान पीठ में मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया 14.02.2022 से 28.02.2022 तक निम्नानुसार होगी:-

पीठ- I

1. श्री विजय कुमार, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, दिल्ली 14.02.2022 से 18.02.2022 तक प्रात: 10.30 बजे से प्रत्यक्ष रूप से एकल सदस्यीय पीठ का संचालन करेंगे।

2. माननीय अध्यक्ष महोदय और श्री विजय कुमार, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, दिल्ली 23.02.2022 और 24.02.2022 तक प्रात: 10.30 बजे से वर्चुअल तरीके से डिवीजन पीठ का संचालन करेंगे।

3. श्री विजय कुमार, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण,दिल्ली 21.02.2022, 22.02.2022, 25.02.2022, और 28.02.2022 को प्रात: 10.30 बजे से वर्चुअल तरीके से एकल सदस्यीय पीठ का संचालन करेंगे।

पीठ- II

1. श्री सुनील माथुर, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, दिल्ली 14.02.2022 से 18.02.2022 तक दोपहर 12.30 बजे से वर्चुअल तरीके से एकल सदस्यीय पीठ का संचालन करेंगे।
2. श्री सुनील माथुर, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, दिल्ली 21.02.2022 से 28.02.2022 तक दोपहर 12.30 बजे से प्रत्यक्ष रूप से एकल सदस्यीय पीठ का संचालन करेंगे।

वर्चुअल न्यायालय में, गवाही स्तर से इतर अन्य सभी मामलों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसे माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

संजय

(संजय घोष)
अपर रजिस्ट्रार

सं. रे.दा.अधि/दिल्ली/वीएम/2020 दिनांक 11.02.2022

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव-।। को माननीय अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
2. माननीय सदस्य (तकनीकी) के निजी सचिव को माननीय सदस्य (तकनीकी) के सूचनार्थ।
3. कोर्ट मास्टर।
4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली।
5. नोटिस बोर्ड पर बार एसोसिएशन के सूचनार्थ।
6. संबंधित कर्मचारी को रेल दावा अधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।